(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1051/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-11-2012 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 97/अपील/2010-11.

---

1. रामसिंह आ. स्व. हरिकिशन
   निवासी ग्राम सलैया, तहसील, हुजूर,
   भोपाल, म.प्र.
2. श्रीमती जुगिया बाई
   पत्नी स्व. श्री हरिकिशन मृत द्वारा
   रामसिंह आ. हरिकिशन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. लीला किशन आ. लक्ष्मी नारायण
2. सुमेर सिंह आ. स्व. श्री हरिकिशन
   समस्त निवासी 55, सुखसागर कॉलोनी,
   खजूरी रोड़, पिपलानी, भोपाल
   जिला भोपाल, म.प्र.
3. म.प्र. शासन

.....अनावेदकगण

श्रीमती कमलेश्वरी सक्सेना, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजू पाटीदार, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 06- 11-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक रामसिंह द्वारा तहसीलदार, हुजूर जिला भोपाल के समक्ष दिनांक 04.01.1992 को संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम सलैया एवं सनखेड़ी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 24, 25, 26 एवं 107 रकबा 6.00 एकड़ भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 21.06.1995 को उसके पिता हरिकिशन को आवंटित की गई थी । उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आज दिनांक उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है, अत: प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 45/अ-6/95-96 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान पटवारी से जानकारी प्राप्त कर तहसीलदार ने दिनांक 31-03-1994 को यह पाया कि प्रश्नाधीन भूमि भू-दान में दिये जाने के संबंध में राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि नहीं है। साथ ही भू-दान बोर्ड विघटित होने के कारण प्रकरण मार्गदर्शन हेतु अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर की ओर भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के माध्यम से शासन से पत्र व्यवहार करने के निर्देश दिये गये । इसी बीच बंदोबस्त आरंभ होने से दिनांक 01-12-1995 को यह प्रकरण बंदोबस्त कार्यालय को भेजा गया । सहायक बंदोबस्त अधिकारी, मिसरोद ने आदेश दिनांक 30-07-1996 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक क्रमांक 1 रामसिंह एवं आवेदक क्रमांक 2 मृतक जुगियाबाई तथा अनावेदक क्रमांक 2 सुमेर सिंह का नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 9-12-2009 को विलंब से अवधि विधान की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-12-2010 को आदेश पारित कर सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 30-7-96 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आबंटित पट्टे की विधिसंगत जांच कर, प्रश्नाधीन भूमि में हित रखने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोषों के आधारपर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक पक्ष एवं अनावेदक क्र. 2 द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 06-11-2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 52 के अंतर्गत कोई भी आदेश, सम्मन, सूचना, उद्घोषणा आदि में जांच के पूर्व या उसके दौरान किसी भी भूल या अनियमितता के कारण अपील/निगरानी में तब तक परिवर्तित या पल्टा

नहीं जा सकता, जब तक अन्याय नहीं हुआ हो । विशेषकर जबकि आपत्ति पूर्ववर्ती स्थिति में उठाई जा सकती थी। महत्वहीन त्रुटियों के कारण आदेश ध्वस्त नहीं किया जा सकता । यह भी कहा गया आयुक्त द्वारा आदेश के पैरा क्रमांक 4 में उल्लेखित व्यवहार वाद क्र. 233ए/1 में अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन के संदर्भ में अनावेदक क्रमांक 1 के आधिपत्य के संबंध में है, स्वत्व के संबंध में नहीं, अंतिम निराकरण नहीं है। अत: उक्त आदेश प्रकरण में लागू नहीं होता है । तर्क में यह भी कहा गया कि भूदान यज्ञ अधिनियम अक्टूबर 1992 को निरस्त कर समस्त दायित्व एवं अधिकार शासन को अंतरित हो गये, यह तथ्य विधान सभा द्वारा पारित म.प्र. भूदान यज्ञ बोर्ड निरसन अधिनियम से प्रमाणित है, जो कि राजपत्र द्वारा प्रसारित किया गया है, इसके लिए अलग से निर्देश अथवा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश प्राप्त हो चुके थे। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त ने आदेश के पैरा क्रमांक 5 में लेख किया है कि मूल पट्टा दिनांक 01-01-1992 को दिया गया है। तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। पट्टा वितरण दिनांक 21-06-55 बताया गया है, दिनांक 01-01-1992 को द्वितीय प्रति जारी की गई है। दिनांक 01-01-1992 को हरिकिशन की मृत्यु हो गई थी, द्वितीय प्रति आवेदकगण को जारी की गई थी। अत: उसके हस्ताक्षर हैं। यह भी कहा गया कि आवेदकगण ने लिखित बहस में आपत्ति ली थी, किंतु सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश का निराकरण अपर आयुक्त के निर्देशानुसार कलेक्टर ने पारित निर्णय के अनुसार भूमि नामांतरण किया। तद्नुसार नामांतरण हुआ। इस प्रकार सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश कलेक्टर के आदेश में विलीन हो गया। अंतिम वरिष्ठ कार्यालय का माना जावेगा। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने दुर्भावना पूर्वक एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आदेश पारित किया है। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित है कि विलंब अवधि आवेदकगण को सुनने से पूर्व ही माफ कर दिया, अपील स्वीकार कर प्रकरण जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया, किंतु बिना जांच किए ही नामांतरण निरस्त कर दिया। अपील की अवधि निकलने के पूर्व ही आदेश के दूसरे दिन ही अनावेदक क्रमांक 1 का नामांतरण कर दिया गया, जो कि विधि विरूद्ध है, निरस्त होने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद की सुनवाई सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई वाद प्रश्न का निराकरण उन्हीं पक्षकारों के मध्य हो गया हो तो पुन: उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के मध्य उन्हीं वाद कारणों पर सुनवाई नहीं कर सकते। धारा 12 के अनुसार वादी/आवेदक उन्हीं वाद कारणों के आधार पर वाद दायर नहीं कर सकेगा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सूचना के बावजूद अनावेदक क्रमांक 1 के पिता लक्ष्मीनारायण ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं

की। अनावेदक क्रमांक 1 को उक्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अतः Estoppel के सिद्धांत के अनुसार उक्त भूमि के संबंध में नामांतरण के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

उनके द्वारा तर्को के समर्थन में 1954 एस.सी. 340, 1955 एस.सी. पेज 94, 1967 जे.एल.जे. 110, 2010 आर.एन. 254, 2004 आर.एन. 196 (उच्च न्यायालय) एवं 2017 आर.एन. 137 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार किया गया नामांतरण निरस्त कर, आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 2 का नामांतरण स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-12-2010 जो कि बोलता हुआ आदेश था तथा कई पृष्ठों का आदेश था। उपरोक्त आदेश से दुखी व असंतुष्ट होकर आवेदक रामसिंह के अतिरिक्त सुमेर सिंह एवं श्रीमती जुगिया बाई ने एक अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आयुक्त द्वारा दिनांक 06-11-2012 को आदेश पारित कर आदेशित किया कि "अतः ऐसे अवैध प्रक्रियाविहीन आदेश के विरूद्ध अपील की अनुमति लेने अथवा समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। माननीय व्यवहार न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 10-11-2011 में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला माना है, न ही उसे कोई अपूर्णीय क्षति होना माना है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।"

(2) इसके अतिरिक्त श्री सुमेर सिंह एवं जुगिया बाई ने एक व्यवहार वाद क्रमांक आर.सी.एस. 233-ए/2011 श्री लालकिशन एवं रामसिंह के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया तथा उपरोक्त दावे की प्रतिलिपि संलग्न है तथा उपरोक्त दावे में वादीगण की ओर से श्री मनोज जैन उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री दास अधिवक्ता एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा कमलेश्वरी अधिवक्ता उपस्थित होते रहे।

(3) दिनांक 09-07-2015 को उपरोक्त दावा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी लीलाकिशन के आवेदन अंतर्गत आदेश 11 नियम 21 सी.पी.सी. के अंतर्गत अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस प्रकार आवेदकगण ने जो वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की है, वह प्रचलन योग्य नहीं है और

उनके द्वारा जो दीवानी न्यायालय में दावा दायर किया था, वह खारिज हो जाने के कारण आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत अंतिम आदेश हो गया और अब आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 को विवाद करने का अधिकार शेष नहीं रहा है। उपरोक्त व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न की गई है।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भूदान में दी गई प्रश्नाधीन भूमि को लेकर विवाद है, अतः प्रकरण में यह जांच आवश्यक है कि यदि प्रश्नाधीन भूमि भूदान में शासन को दी गई थी, तो कब और किसके द्वारा पट्टा जारी किया गया था । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश निरस्त कर, भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आबंटित पट्टे की विधिसंगत जांच कर, प्रश्नाधीन भूमि में हित रखने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर हुए गुण-दोषों के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । आयुक्त द्वारा भी विवेचना उपरांत आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से, उसकी पुष्टि की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पूर्ण जांच के लिए ही प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

सीडर

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर